NERAMAC

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

एमओयू 2013-14

समझौता ज्ञापन नेरामेक के लिए (एमओयू)
2013-14 वर्ष के लिए

भाग–1

1. सीपीएसई के अभियान एवं उद्देश्य

1.1 अभियान/ भावी निरुपण

❖ अदरख, अनन्नास, संतरा, सेब तथा किवी आदि कृषि–वानिकी के अतिरिक्त उत्पादों जिनकी कृषक बाजार तक पहुंचाने में काफी कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनकी खरीदकर, प्रसंस्कृत तथा विपणन कर क्षेत्र के कृषि–वानिकी विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन।

1.2 सीपीएसई के उद्देश्य :

❖ कृषकों तथा कृषक समितियों से अतिरिक्त उत्पादों की प्रत्यक्ष रूप से खरीदकर उनके उत्पादों की उचित कीमत उपलब्ध कराने में मदद करना।

❖ कृषि–वानिकी सामग्रीयों यथा – अनन्नास, संतरा, सेब, किवी, अदरख, काजू, मिर्च, बड़ी इलायची आदि के विपणन के लिए कृषकों के साथ पीछे से संबंध स्थापित करना तथा टर्मिनल बाजारों के साथ अग्र संबंध स्थापित करना।

❖ कृषि पश्चात क्षतियों जिसमें संग्रहण, प्रसंस्करण तथा संबद्ध आंकड़ों के बनाए रखना शामिल है, और समाधान हेतु सामान्य सुविधाएं यथा फसल रखरखाव केंद्र, गोदामों, शीत भंडारों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करना।

❖ मौजूदा एफपीओ पंजीकृत इकाइयों को विकसित करना ताकि गुणवत्ता के साथ–साथ क्षमता को संवर्द्धित किया जा सके, इसके लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, अद्यतन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के संबंध में प्रशिक्षण देना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, आधुनिक पैकेजिंग तथा विपणन में हस्तक्षेप जिसमें निर्यात तथा सामान्य ब्रांड का विकास शामिल है।

❖ ताजा सामग्रियों के परिवहन के लिए समुचित पैकेजिंग विकसित करना, साथ में विशिष्ट सामग्रियों को परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त होने से बचाने के उपाय।

❖ पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्रों पर खुदरा आउटलेटों की स्थापना कर ताजा जूस, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों तथा सब्जियों आदि के उपयोग को प्रोन्नत करना।

❖ क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमी दक्षता का विकास तथा विकसित कृषि कार्यों, उपज के पश्चात रखरखाव आदि के संबंध में कृषकों को जानकारियाँ उपलब्ध कराना।

❖ प्रौद्योगिकी अभियान/राष्ट्रीय वानिकी अभियान/ बांस अभियान/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान आदि के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के साथ सहयोग करना।

NERAMAC

संलग्नक-VI

प्रदर्शन आंकलन लक्ष्य तथा उनका निर्धारण
सहमति पत्र (2013-2014)

क्र. सं.	श्रेणी	इकाइ	वजन (%में)	उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	उपयुक्त (4)	निम्न (5)	कागजी प्रमाण तथा प्रमाण के स्रोत/ उद्भव
1	**स्थिर / वित्तीय मापदंड (40%)**								
1.1	कुल बिक्री	रु. करोड़ में	10	90.00	75.00	60.00	50.00	45.00	क्रियाशील सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित
1.2	कुल लाभ/उपान्त	रु. करोड़ में	10	3.00	2.75	2.50	2.25	2.00	
1.3	कुल लाभ	रु. करोड़ में	5	2.30	2.20	2.10	2.00	1.90	
1.4	मूठ लाभ	रु. करोड़ में	5	0.41	0.39	0.37	0.35	0.33	
1.5	परिचालन से नकदी का सृजन	रु. करोड़ में	5	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	
1.6	कार्यशील पूंजी/ व्यापारकी मात्रा	अनुपात	5	0.34:1	0.36:1	0.38:1	0.39:1	0.41:1	
उप योग-1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)			**40**						
2	**गतिशील मापदंड (25%)**								
2.1	भौतिक लक्ष्य								
अ	प्रसंस्करण:-								
(i)	अदरख प्रसंस्करण सयंत्र, बर्नीहाट	मै.ट.	5	120	110	100	90	80	क्रियाशील सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित
(ii)	काजू प्रसंस्करण इकाई, मानकाचर	मै.ट.	6	250	220	200	180	160	

क्र. सं.	श्रेणी	इकाइ	वजन (% में)	उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	उपयुक्त (4)	निम्न (5)	कागजी प्रमाण तथा प्रमाण के स्रोत/ उद्भव
ब-	मसालों/कृषि वानिकी सामानों का खरीद तथा विपणन	रु. लाखों में	1	910	855	825	780	740	क्रियाशील सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित
स-	अन्य वस्तुओं जिसमें रासयनिक खाद्य शामिल है, की खरीद तथा विपणन	रु. लाखों में	1	5690	5420	5160	4900	4650	
2.2	वर्ष के दौरान आर्डर बुकिंग	रु. करोड़ में	4	70	65	60	55	50	बोर्ड के नोट तथा प्रस्ताव की प्रति
2.3	अदरख प्रसंस्करण सयंत्र, बर्नीहाट, एचएसीसीपी की गुणवत्ता	दिनांक	1	31.07.13	30.09.13	31.12.13	31.01.14	31.03.14	स्वतंत्र एजेंजी द्वारा प्रमाणित
2.4	ग्राहक संतुष्टिकरण	%	1	1.00	1.50	2.00	2.50		
2.5	परियोजना का कार्यान्वयन:								
(i)	काजु प्रसंस्करण इकाई, त्रिपुरा के संदर्भ में डीपीआर की तैयारी तथा त्रिपुरा सरकार को प्रस्तुत करना ताकि आगेवह भारत सरकार को सौंप सके।	दिनांक	3	30.06.13	30.09.13	31.12.13	31.01.14	28.02.14	बोर्ड के नोट तथा प्रस्ताव की प्रति
2.6	सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) तथा स्थाइ विकास								
(i)	नालकाटा में फल जूस के संसाद्रण सयंत्र नालकाटा, त्रिपुरा के कृषकों से अनन्नास की खरीद	एमटी	3	280	260	250	240	230	
उप योग 2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)			**25**						

क्र. सं.	श्रेणी	इकाइ	वजन (%में)	उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	उपयुक्त (4)	निम्न (5)	कागजी प्रमाण तथा प्रमाण के स्रोत/ उद्भव
3.	**क्षेत्र/संगठन का विशिष्ट मापदंड (35%)**								
3.1	**व्यवसाय/पुनर्जीवन योजना की तैयारी/कार्यान्वयन :**								
i)	मताधिकार के आधार पर बिक्री केंद्र की स्थापना	सं.	4	8	7	6	5	4	बोर्ड के नोट तथा प्रस्ताव की प्रति
3.2	**मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)**								
(i)	काजु प्रसंस्करण हेतु दक्षता विकास ग्रेडिंग तथा पैकेजिंग कार्य।	व्यक्ति की संख्या	5	75	65	50	45	40	
(ii)	वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	व्यक्ति की संख्या	3	5	4	3	2	1	
(iii)	कंसल्टैंसी सेवा से टर्नओवर	रु. करोड़ में	5	5	4	3	2	1	क्रियाशील सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित
3.3	**किसान संगठन :** मेघालय के काजू उत्पादक क्षेत्रों से काजू की खरीद के लिए स्व-सहायता समूहों क्लस्टर का विकास	सं.	4	15	12	10	9	8	बोर्ड के नोट तथा प्रस्ताव की प्रति
3.4	जीपीपी, बर्नीहाट में अदरक के सुखाने के लिए **डीपीआर की तैयारी** तथा सौर डिहाईड्रेशन सुविधा का मूलभूत ढांचे का सृजन	दिनांक	4	30.09.13	31.10.13	31.12.13	31.01.14	28.02.14	
3.5	**प्राप्य तथा ऋण एवं अग्रिम**								
(i)	3 वर्षों से ज्यादा के प्राप्य बकायों में कमी	रु. करोड़ में	3	3.00	2.75	2.50	2.25	2.00	क्रियाशील सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित
(ii)	संक्षिप्त अवधि के ऋणों तथा अग्रिम से समायोजन तथा क्षतिपूर्ति (1वर्ष से अधिक 31.03.2013)	%	3	100	80	60	50	40	
3.6	**सभी कानूनी लेखा परिक्षणों के निरिक्षणों का अनुपालन।** (31.03.2012तक)	दिनांक	4	30.06.13	30.09.13	31.12.13	31.01.13	28.02.14	बोर्ड के नोट तथा प्रस्ताव की प्रति
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)			35						
कुल (1+2+3)			**100**						

भाग- IV

सरकार के वादे/मदद :

डोनर मंत्रालय को कार्यशील पूंजी ऋण के लिए पर्याप्त प्रावधान करते हैं, जो रु. 2 करोड़ की सीमा तक होगा तथा स्रोत में मदद रु. 6 करोड़ तक सीपीएसई तथा / या नेडफी से सुगम ऋण के माध्यम से करना है।

भाग-V

लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में कंपनी की उपलब्धि का मूल्यांकन निम्नवत किया जाएगा :

अ) प्रबंधन द्वारा मासिक समीक्षा
ब) बोर्ड द्वारा त्रैमासिक समीक्षा
स) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अर्द्धवार्षिक समीक्षा
द) सार्वजनिक संगठन विभाग द्वारा वार्षिक समीक्षा

गैर-वित्तीय मापदंडों के लिए निम्नलिखित सत्यापन के साधन होंगे :

- मापदंड के लिए 'भौतिक लक्ष्य तथा कंसल्टैंसी सेवाओं से टर्नओवर' : क्रियाशील सनदी लेखाकार से प्रभावीकरण।
- मापदंड के लिए 'बुकिंग आदेश, परियोजना कार्यान्वयन, सीएसआर तथा एसडी, ब्यवसाय/पुनरोद्धार योजना की तैयारी/ कार्यान्वयन, एचआरएम, सभी कानूनी लेखा परीक्षकों के निरीक्षण का अनुपालन, कृषक संगठन तथा बर्नीहाट के जीपीजी में अदरक सुखाने के लिए सौर डिहाइड्रेशन सुविधा हेतु मूलभूत ढांचा का निर्माण के लिए डीपीआर की तैयारी : बोर्ड नोट तथा प्रस्ताव की प्रति।
- 'ग्राहक संतुष्टि, गुणवत्ता' के मापदंड के लिए :- स्वतंत्र एजेंसी से प्रमाण-पत्र।
- 'निगमित नियमों के अनुपालन न होने पर नकारात्मक भूमिका के लिए दंडित किया जाएगा तथा डीपीई ओएम 18(8)/ 2005-जीएम, दिनांक 22 जून 2011 के अनुसार निम्नलिखित तरह से सहमति-पत्र स्कोर को बढ़ा दिया जाएगा।

क्र.सं.	वार्षिक अंक	ग्रेडिंग	दंड अंक	'उत्कृष्ट' ग्रेड से अंक में अंदर
1	85 % तथा ऊपर	उत्कृष्ट	0.00	0.00
2.	75 % - 84 %	बहुत अच्छा	0.00	0.00
3.	60 %- 74 %	अच्छा	0.50	0.02
4.	50 % - 59 %	उपयुक्त	0.50	0.02
5.	50 % से नीचे	खराब	1.00	0.04

यदि सीपीएसई ओएमके साथ संलग्न प्रारूप में स्व मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो इसकी श्रेणीकरण को खराब मानकर उसके अंक को सुनिश्चित किया जाएगा।

- डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देश का कार्यान्वयन :प्रैक्टिस कर रहे कानूनी लेखा परीक्षक / सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणीकरण। प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर सुनिशिचत डीपीई दिशा निर्देश के अनुपालन न होने पर सहमति-पत्र के मूल्यांकन के समय कार्यबल की भर्जी पर 1 अंक तक दंडित किया जाएगा। (दुसरे शब्दों मे एमओयू रोटिंग को 0.04 तक बढ़ाया जा सकता है)।

22/3/13

प्रबंध निर्देशक
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि
विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

सचिव, भारत सरकार
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
नई दिल्ली

वर्ष 2013-2014 के लिए लक्ष्य तथा आगामी पांच वर्षों के लिए प्रक्षेपण

(रुपया लाख में)

		2013-2014		2014-2015		2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019	
		मात्रा एमटी में	मूल्य	मात्रा एमटी में	मूल्य	मात्रा एमटी में	मूल्य	मात्रा एमटी में	मूल्य	मात्रा एमटी में	मूल्य	मात्रा एमटी में	मूल्य
अ	**प्रसंस्करण**												
1	अदरख	100	15.00	110	16.50	120	18.00	130	19.50	140	21.00	150	22.50
2	काजू (मानकाचर)	200	170.00	220	187.00	240	204.00	260	221.00	290	246.50	320	272.00
ब	**मसालों/कृषि-वानिकी की खरीद तथा विपणन**	1410	750.06	1550	787.56	1700	826.94	1870	868.29	2060	911.70	2270	957.29
स	**अल्प उत्पादों की खरीद तथा विपणन**	1900	5064.94	2090	5318.19	2300	5584.10	2530	5863.30	2780	6156.47	3060	6464.29
			6000.00		**6309.25**		**6633.04**		**6972.09**		**7335.67**		**7716.08**

NERAMAC

वर्ष 2013-2014 के लक्ष्य

(रु. लाख में)

		2013-2014	
		मात्रा एमटी में	मूल्य
अ-	**प्रसंस्करण**		
i)	जी पी पी, बर्नीहाट	100	15.00
ii)	काजू (मानकाचर)	200	170.00
ब-	**मसालें/कृषि-वानिकी के सामग्रियों का ब्यापार**	1410	750.06
i)	अनन्नास	250	5.35
ii)	अदरख	500	148.32
iii)	संतरा	250	2.82
iv)	काजू	80	41.60
v)	मिर्च	10	0.10
vi)	पहाड़ी घास	200	70.00
vii)	तेजपत्ता	75	26.93
viii)	हल्दी	40	416.81
ix)	बड़ी इलायची आदि	5	38.12
स)	**अन्य सामग्रियों का ब्यापार**	1900	5064.94
	i) मक्का	50	12.38
	ii) बीज	350	340.66
	iii) खाद	1500	85.50
	iv) पशु आहार आदि		4626.40
			6000.00

लाभप्रदा विवरण

	(रु. लाख में)
वर्ष	**2013-14**
बिक्री	6000.00
अतिरिक्त सामान्य आय छोड़कर	
खर्च	
उत्पादन/बिक्री की लागत	5735.00
सृजित आय	265.00

NERAMAC

अनुलग्नक-VIII

गत पांच वर्षों के वित्तीय मापदंड के संबंध में सीपीएसई के प्रदर्शन का रुझान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14
	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
उत्पादन											
i) एफजेसीएफ, नालकाटा											
प्रसंस्कृत कच्चे माल (एमटी)	1350	683.72	1350	587.43	650	270.38	650	256.15	–	–	–
ii) सीपीयू, अगरतला											
प्रसंस्कृत कच्चे माल (एमटी)	136	71.32	136	52.30	70	56.00	70	4.20	–	–	–
iii)जीपीपी, बर्नीहाट											
प्रसंस्कृत कच्चे माल (एमटी)	675	123.50	675	184.00	500	113.00	500	22.65	500	50	100
iv) सीपीयू, मानकाचर											
प्रसंस्कृत कच्चे माल (एमटी)	0	0	0	0	0	0	0	0	745	0	200
कुल बिक्री	23	36.84	27	89.65	50	99.91	90	96.04	105	40.00	60.00
कुल लाभ	0.96	–1.00	1.6	0.88	2.42	0.66	4.5	1.10	5.25	(1.69)	2.50
कर पूर्व लाभ	0.96	0.15	1.6	1.12	2.42	2.07		1.49	4.80	(3.09)	0.55
कुल अवरुद्ध	–	6.55	–	6.67	–	6.77	–	7.04	9.53	7.05	7.22
कम ह्रास	–	4.57	–	4.80	–	5.00	–	5.16	5.57	5.35	5.84
निवल अवरुद्ध	–	1.97	–	1.87	–	1.77	–	1.88	3.96	1.70	1.38
सीपीएसई की शेयर पूंजी	–	7.62	–	7.62	–	7.62	–	7.62	7.62	7.62	7.62
सीपीएसई की आरक्षित तथा अतिरिक्त	–	0.21	–	1.33	–	2.81	–	3.81	–	0.71	1.09
कम भिन्नतायुक्त राजस्व खर्च/अधिग्रहण पूर्व हानि	–	0.35	–	0.47	–	0.48	–	0.35	0.24	0.35	0.32
कम लाभ तथा हानि खाता	–	0.15	–	1.12	–	1.47	–	1.00	0.48	–3.09	0.37
सीपीएसई की निवल योग्यता	–	7.33	–	7.36	–	8.48	–	10.08	6.90	11.07	8.02
निवेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विविध देनदारियां/बिक्री	–	0.03	–	0.20	–	0.14	–	0.21	0.20	0.35	0.25
इंवेंट्री	–	0.59	–	0.86	–	0.40	–	0.82	0.35	1.21	0.99

NERAMAC

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14
	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	प्रक्षेपित	एमओयू	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
कुल चालू संपत्ति	–	26.57	–	37.27	–	39.52	–	44.24	51.53	35.56	37.58
कुल चालू देनदारियां तथा प्रावधान	–	13.76	–	22.71	–	22.81	–	24.22	29.20	15.47	13.95
निकल चालू संपत्ति	–	12.81	–	14.56	–	16.71	–	20.02	22.33	20.09	23.63
प्रयुक्त पूंजी (निकल खंड + निकल चालू संपत्तियां)	–	14.78	–	16.43	–	18.48	–	21.90	26.29	21.79	25.01
कुल देनदारियां (ऋण कोष)	–	9.41	–	11.93	–	15.71	–	20.11	20.85	23.58	27.12
कुल संपत्तियां	–	30.55	–	39.14	–	26.52	–	23.99	55.49	37.26	38.96
सीपीएसई के कर्मचारियों की संख्या	–	48	–	48	–	48	–	48	44	46	46
भुगतेय लाभांश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
संबर्द्धित मूल्य (सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त पूंजी का कुल लाभ कम पूंजी क्षतिपूर्ति तथ्य 4% तथा अन्य सीपीएसई का 10%)	–	–2.48	–	–0.76	–	–1.19	–	–1.09	2.62	–3.87	0.00
अनुपात											
ऋण / इक्विटी	–	1:1	–	2:1	–	2:1	–	3:1	3:01	3:1	4:1
निकल योग्यता पर वापसी(% में)	–	1.97	–	14.70	–	19.29	–	13.13	43.57	–40.55	4.86
सीपीएसई का पीबीडीआईटी/ कुल रोजगार (रु. में)	–	0.00	–	0.02	–	0.04	–	0.03	0.11	–0.07	0.01
कुल लाभ / प्रयुक्त पूंजी (% में)	–	–8.87	–	3.04	–	1.68	–	3.75	18.26	–8.99	8.40
निकल लाभ / निकल योग्यता (% में)	–	2.05	–	15.21	–	17.33	–	9.93	48.12	–27.91	4.61

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14
	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	प्रक्षेपित	एमओयू	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
कुल लाभ का कार्य											
निकल लाभ	0.06	0.15	0.58	1.12	1.02	1.47	1.70	1.00	3.32	(3.09)	0.37
कर	–	–	–	–	–	0.60	–	0.49	1.48	0.00	0.18
कर पूर्व निकल लाभ	–	0.15	–	1.12	–	2.07	–	1.49	4.80	(3.09)	0.55
पूर्व अवधि जोड़कर	–	0.47	–	(0.16)	–	0.98	–	(0.11)	–	0.00	0.00
अतिरिक्त असामान्य सामग्रियों को जोड़कर	–	0.99	–	0.78	–	0.78	–	0.78	–	0.34	0.00
पूर्व अवधि के पहले लाभ	–	(1.31)	–	0.50	–	0.31	–	0.82	4.80	(3.43)	0.55
ब्याज जोड़कर	–	–	–	–	–	–	–	0.00		(1.47)	1.55
कुल लाभ	–	(1.31)	–	0.50	2.12	0.31	4.10	0.82	4.80	(1.96)	2.10
ह्रास (डिप्रिसिएशन) जोड़कर	–	0.20	–	0.23	–	0.21	–	0.16	0.35	0.20	0.34
रोजमर्रा के खर्च जो छोड़ दिए	–	0.11	–	0.15	–	0.14	–	0.12	0.10	0.07	0.06
ब्याज, ह्रास से पूर्व कुल लाभ तथा रोजमर्रा के खर्च जो छोड़ दिए गए	0.96	(1.00)	1.60	0.88	2.42	0.66	4.50	1.10	5.25	(1.69)	2.50

NERAMAC

वर्ष 2013-14 के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(रु. लाख में)

	कर पूर्व निकल लाभ गैर-नकद तथा गैर-परिचालित सामानों के लिए असामान्य वस्तुओं का समायोजन	**55.47**
जोड़कर	ह्रास	34.00
	प्राथमिक खर्च	6.00
	विदेशी विनिमय हानि	xx
	ब्याज खर्च	154.53
	अचल संपत्ति की बिक्री से हानि	xx
घटाकर	ब्याज आय/प्राप्त	10.00
	प्राप्त लाभांश आय	xx
	प्राप्त किराया आय	xx
	अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ	xx
	कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पूर्व परिचालित लाभ	
घटाकर	चालू देनदारियों में कमी	152.44
घटाकर	चालू संपत्तियों में वृद्धि	67.57
	परिचालन से नकद सृजन	19.99
घटाकर	भुगतेय आयकर	18.00
	परिचालित क्रियाकलापों से निकल नकदी प्रवाह	**1.99**

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी
31 मार्च, 2014 (प्रक्षेपित) तक का तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 तक	31 मार्च, 2013 तक
I)	**कोष के स्त्रोत :**	**रु. (लाख में)**	**रु. (लाख में)**
1.	शेयर धारक कोष		
	(अ) शेयर पूंजी	762.00	762.00
	(ब) विपणन सहायता/बिक्री सबसिडी	0.00	0.00
2.	ऋण कोष असुरक्षित	2712.37	2357.84
3.	आरक्षित तथा अतिरिक्त स्वैच्छीक सेवानिवृती कोष	9.15	9.15
	कुल योग	**3,483.52**	**3,128.99**
II)	**कोषों की प्रयुक्तता :**		
1.	अचल संपत्ति		
	(अ) कुल खंड	722.43	705.43
	(ब) घटाकर : ह्रास	584.09	535.44
	(स) निकल अवरुद्ध	138.34	169.99
	(द) चल रहा पूंजीगत कार्य	296.80	224.80
		435.14	394.79

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 तक	31 मार्च, 2013 तक
		रु. (लाख में)	रु. (लाख में)
2	वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम		
	(अ) विशेष सूची	99.23	121.23
	(ब) विविध देनदारियां	1,496.97	1,392.52
	(स) ऋण तथा अग्रिम	1,557.02	1,571.90
	(द) नकद एवं बैंक अधिशेष	605.16	470.02
		3,758.38	3,555.67
	घटाकर : वर्तमान देनदारियां तथा प्रावधान		
	चालू देनदारियां	1,394.77	1,547.21
	निकल चालू संपत्तियां	2,363.61	2,008.46
3.	अन्यान्य खर्च (छोड़ने की सीमा तक		
(अ)	या समायोजित किया)		
	i) प्राथमिक खर्चे:		
	घटाकर : अलिखित	31.54	35.04
(ब)	लाभ तथा हानि खाता	(653.23)	(690.70)
	कुल योग	**3,483.52**	**3,128.99**

NERAMAC

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन
निगम लिमिटेड, गुवाहाटी
31 मार्च, 2014 (प्रक्षेपित) तक समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 तक रु. (लाख में)	31 मार्च, 2013 तक रु. (लाख में)
I.	आय		
	(अ) बिक्री	6,000.00	4,000.00
	(ब) अन्य आय	310.00	16.02
	कुल	**6,310.00**	**4016.02**
II.	व्यय		
	(अ) पदार्थ तथा निर्माण खर्च	5,735.00	3,880.00
	(ब) संस्थागत तथा प्रशासनिक खर्च	90.00	94.67
	(स) कर्मियों पर व्यय	235.00	210.44
	(द) ह्रास	34.00	19.52
	(य) अलिखित प्राथमिक खर्च	6.00	7.00
	(र) कर	18.00	0.00
	(ल) कर	154.53	147.36
	कुल	**6,272.53**	**4,358.99**
III.	बिक्री सबसिडी		33.52
IV.	**वर्ष के दौरान निकल लाभ**	**37.47**	**(309.45)**
V.	पूर्व वर्ष से अग्रसारित घाटे की शेष राशि	(690.70)	(381.25)
VI.	**लाभ एवं हानि खाता का शेष**	**(653.23)**	**(690.70)**

आय एवं व्यय की विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	रुपए
	कुल बिक्री (इक्साइज ड्यूटी, कमीशन तथा छूट आदि शामिल कर)	60.00
जोड़:	अन्य आय	3.10
	कुल राजस्व	63.10
घटाकर:	**सभी खर्च (सिर्फ ह्रास, अन्यान्य खर्चों डब्ल्यू/ओ, ब्याज, पूर्व अवधि का सामग्रियां, अतिरिक्त सामान्य सामग्रियां तथा कर (विभिन्न करों को शामिल कर)**	
	i) मैटेरियल तथा निर्माण खर्च	57.35
	ii) संस्थागत तथा प्रशासन खर्च	0.90
	iii) कर्मियों पर खर्च	2.35
	कुल मार्जिन	2.50
घटाकर:	ह्रास (डिप्रिसिएशन)	0.34
घटाकर:	अनन्य खर्चों डब्ल्यू/ओ	0.06
	कुल लाभ	2.10
घटाकर:	ब्याज	1.55
	अतिरिक्त सामान्य सामग्रियों, पूर्व आवधिक सामग्रियों तथा करों के पूर्व लाभ	0.55
घटाकर:	पूर्व आवधिक सामग्रियां	0.00
घटाकर:	अतिरिक्त सामान्य सामग्रियां	0.00
	कर पूर्व लाभ	0.55
घटाकर:	कर	0.18
	कर पश्चात लाभ	0.37

	कुल मार्जिन पर कार्य	
	कर पश्चात निकल लाभ (पीएटी)	0.37
जोड़कर :	कर	0.18
	कर पूर्व निकल लाभ	0.55
जोड़कर/घटाकर	पूर्व आवधिक सामग्रियां	0.00
जोड़कर/घटाकर	अतिरिक्त सामान्य सामग्रियां	0.00
	पूर्व अवधि, अतिरिक्त सामान्य सामग्रियों तथा कर के पूर्व लाभ	0.55
जोड़कर	ब्याज	1.55
	कुल लाभ	2.10
जोड़कर	ह्रास	0.34
जोड़कर	अलिखित रोजमर्रा खर्च	0.06
	ब्याज, तथा अन्य खर्च डब्ल्यू/ओ के पूर्व कुल मार्जिन	2.50

अनुलग्नक-IX

सीपीएसई के द्वारा घोषणा/प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2013-2014 के लिए सहमति-पत्र दिशानिर्देशों में स्थापित मानकों तथा परिभाषाओं को अपना कर सहमति-पत्र दिशानिर्देशों के तहत लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियों को वित्तीय प्राचल का निष्पादित किया गया है। प्रदर्शन के मूल्यांकन के समय यदि कोई विचलन पाया जाता है तो डीपीई सहमति-पत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार अंकेक्षित-लेखा के अनुसार मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र है। इस संदर्भ में सीपीएसई के पास दावा का अधिकार नहीं होगा।

अधिकृत हस्ताक्षरी

बी. आर. बरुवा
B. R. Baruah
महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/General Manager (F&A)
नेरामेक लि./NERAMAC Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Enterprise)
९, राजभारी पथ, जी.एस. रोड/9, Rajbari Path, G.S. Road
गणेशगुरी, गुवाहाटी-७८१००५/Ganeshguri, Guwahati-781005

सामूहिक योजना

नेरामेक की स्थापना देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषकों / उत्पादकों की सहायता के लिए किया गया था ताकि उनके उत्पादों का वाजिब कीमत मिल सके तथा कृषकों तथा बाजार के बीच अंतर को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि, खरीद, प्रसंस्करण तथा विपणन के आधारभूत संरचना को संवर्द्धित किया जा सके।

अपने प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नेरामेक उत्पादकों के नकदी फसलों की उपलब्धता तथा खरीद के लिए अपनी सहायता प्रदान करने हेतु बाजार में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें पारिश्रमकीय कीमत उपलब्ध करा रहा है। यह कच्चे माल उपलब्ध कराकर तथा पैकेजिंग सामानों की ब्यवस्था कराकर भी प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भी मदद कर रहा है। नेरामेक की पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ खुदरा बिक्रीकेंद्र भी हैं जो क्षेत्र में स्थानीय रुप से उत्पादित विभिन्न प्रसंस्कृत तथा मूल्य संवर्द्धित उत्पादों की प्रत्यक्ष रूप से बिक्री करता है।

नेरामेक के मुख्य उद्देश्य है :

- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के उत्पादकों से बाजारयोग्य फलों एवं सब्जियों की अतिरिक्त खरीद।
- इसके प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए आवश्यक ब्यवस्था सुनिश्चित करना।
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तत्वावधान में बेहतर उत्पादकता के लिए 'निवेश' कराकर कृषकों तथा उत्पादकों की मदद करना।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन कर खाद्य सुरक्षा, प्रसंस्करण तथा विपणन के संदर्भ में उद्यमी दक्षता को संवर्द्धित करना।

नेरामेक वर्षों से काजू, मकई, तिल तथा अन्य तिलहनों, मसाले यथा काली मिर्च आदि तथा लघु वन्य उत्पादों जैसे झाड़ू, हिल ग्रास आदि के विपणन के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। निगम कृषि-वानिकी के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कृषि-वानिकी इनपुटों यथा खाद, कीटनाशक रसायनों, बीज, कृषिगत हथियारों तथा उपलब्ध तथा उपकरणों को उपलब्ध तथा विपणन करते आ रहा है।

वर्षों के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास तथा पहल के बावजूद नेरामेक ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के साथ-साथ अपने परिचालन क्षेत्र में आधारभूत संरचना के अभाव के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नही कर सका है।

प्रसंस्करण, विपणन, उद्यमिता विकास, सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी, अनुसंधान तथा विकास एवं स्थाई विकास के क्षेत्र में समूहिक योजनाएं निम्नवत हैं :

अ- <u>प्रसंस्करण:</u>

I. असम के मानकाचार में काजू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिला तथा असम के धुबड़ी जिले के काजू कृषि की संभावनाओं को संपोषण के लिए नेरामेक 4 एमटी प्रतिदिन क्षमता का एक काजू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर रहा है। इस संबंध में 90% से अधिक सन्निहित कार्यों

को पूरा कर लिया गया है तथा सयंत्र तथा मशीनरी के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसका परीक्षण उत्पादन जनवरी, 2012 में सुनिश्चित किया गया है तथा इसके पाश्चात वाणिज्यिक उत्पादन की योजना बनाई गई है।

II. असम के छयगांव में गुणवत्ता सुनिश्चयन तथा सेंट्रल पैकेजिग केंद्र की स्थापना :

खाद्य प्रसंस्करण को प्राय: उत्तम छाप युक्त उद्योग के रूप में चिन्हित किया गया। यद्यपि इस उद्योग की क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं हैं, फिर भी इसके विकास के लिए कोई आधारभूत संरचना अब तक तैयार नही की गई है। इस क्षेत्र में फलों यथा अनन्नास, संतरा, पैशन फ्रूट आदि पर्याप्त उपलब्धता है। इसके मद्देनजर फल प्रसंस्करण उद्योग को आवश्यक उद्योग के रुप में पहचान की गई है। वर्तमान में मौजूद तथा आनेवाली प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराना वक्त की आवश्यक मांग बन चुकी है। नेरामेक ने गुवाहाटी के समीप छयगांव में सेंट्रल पैकेजिंग केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव बनाया है। इसका उद्देश्य वर्तमान लघु फल प्रसंस्करणकर्त्ताओं को मदद पहुंचाना तथा उनके उत्पादों के विपणन के लिए सार्वजनिक मार्का नाम की उपलब्ध कराना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 102 से अधिक एफपीओ पंजीकृत प्रसंस्करण इकाईयां हैं। इनमें अधिकांश क्षमता के अनुरुप प्रदर्शन नही कर पा रही है। इसमें अधिकांश प्रौद्योगिकी अभियान, के तहत लघु प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की गई है, ताकि उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादों के मूल्यों को संवर्द्धित करने के लिए स्थापित की गई है। वर्तमान उपलब्ध क्षमता को समझते हुए तथा कोई लघु प्रसंस्करण इकाईयां के स्थापित होने के मद्देनजर नेरामेक ने सेंट्रल पैकेजिंग सेंटर की परियोजना की स्थापना की योजना बनाई है ताकि वर्तमान उत्पादकों तथा उभरते उद्यमियों के समग्र विपणन को सहायता प्रदान किया जा सके। इसके माध्यम से नेरामेक इन इकाईयों से प्रसंस्कृत उत्पादों को पैक कर सकेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी संभावनाएं विद्यमान हैं, खासकर उच्चकटिबंधीय फलों यथा अनान्नास, संतरा आदि के लिए। यद्यपि यह बात सच है कि इस क्षेत्र में इस तरह के फलों का बड़े परिमाण में उत्पादन होता है, परंतु इनके उपभोक्ता पैकों में प्रसंस्करण तथा विपणन के संदर्भ में कोई गंभीर प्रयास नही किया गया। यदि इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएंगे तो न सिर्फ इन उत्पादों के मूल्यों को संवर्द्धित किया जाएगा, अपितु इससे उत्पादकों में भी एक अच्छा संदेश जाएगा और वे और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। लघु फल प्रसंस्करणकर्ताओं को मदद करना तथा उन्हें विपणन के लिए सार्वजनिक जगह का उपलब्ध करना जैसे दोनों उद्देश्यों के मद्देनजर प्रस्तावित पैकेजिंग सेंटर में अत्याधुनिक पैकेजिंग मशीन उपलब्ध कराए जाएगे ताकि जिस फलों के जूसों को विपणन के लिए उपलब्ध कराया जाए वह गुणवत्तायुक्त एवं आकर्षक रूप में हों तथा उपभोक्ताओं के लिए सुगम पैक में उपलब्ध कराई जा सकें। इस तरह की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना इस क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण के लिए वरदान साबित होगा। प्रस्तावित पैकेजिंग सेंटर में आधूनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे फलों के जूसों को छोटे खुदरे पैकों में उपलब्ध कराया जा सके तथा निर्यात के लिए भी इन्हें बड़ी मात्रा में पैक कर भेजा जा सके।

III. असम के सिलचर में बहु-फल प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना

असम के बराक घाटी जिले में फलों यथा – अनन्नास, संतरा, पैशन फ्रूट तथा अदरक की पर्याप्त उपलब्धता है, परंतु यह अत्यंत निराशा जनक स्थिति है कि यहां प्रसंस्करण तथा इस वस्तुओं के मूल्य संवर्द्धन की दिशा में कोई आधारभूत संरचना उपलब्ध नही है, ताकि किसानों को बेहतर बाजार मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में नेरामेक ने सिलचर में बहु फल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जो एक संयुक्त उपक्रम होगा। एचएलएल / एमएफआईएल के वर्तमान अधोसंरचना को समुचित रूप से आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह संयंत्र अन्य फीडर संयंत्रों जो आस-पास के क्षेत्रों में अवस्थित हैं, सिलचर

एक ऐसा स्थान है, जहां से मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तथा असम एक दूसरे से सन्निकट अवस्थित हैं, कि लिए 'मदर यूनिट ' (मातृ इकाई) के रूप में कार्य करेगी। क्योंकि उक्त क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में फल एवं सब्जियां पैदा की जाती हैं।

IV. त्रिपुरा के नालकाटा की अनन्नास रस सषाद्रण संयंत्र का पुनर्निर्माण तथा आधुनिकीकरण

नेरामेक ने वर्ष 1988 में नालकाटा में फल रस सषाद्रण संयंत्र की स्थापना की, जो अगरतला से 135 किमी दूरी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की संस्थापन क्षमता 2 ट./घंटा ताजा अनन्नास की है जो मात्र अनन्नास के रस को मात्र संक्रेदण करता है। इसके अलावा यहां कोई अन्य अनन्नास जूस संक्रेदण संयंत्र अवस्थित नहीं है और न ही प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन हेतु कोई अन्य आधारभूत संरचना विद्यमान है।

यह संयंत्र अपनी स्थापना काल से ही हानि के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यह एकल लाइन संयंत्र है। परिणामस्वरुप नेरामेक ने 'ठांडा युक्त ' में जूस संक्रेदण का उत्पादन शुरू किया तथा इसके पश्चात इसकी बाहरी स्थानों पर आपूर्ति प्रभावित होने लगी। यह निम्न आर्थिक व्यवहार्यता के चलते वाहन के संदर्भ में होने लगा। इसके अलावा अनान्नास के मौसम में जो संक्रेदण उत्पादित होता था, वह अधिकतम तीन/चार माह में ही समाप्त हो जाता था।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए नेरामेक ने नालकाटा में बहु फल प्रसंस्करण इकाई के समुचित विविधिकरण योजना का प्रस्ताव किया, जिसके तहत बहु-फल लाइन के एक सुनिश्चित उत्पाद मिश्रण के लिए असेप्टिक फीलर, कैनिंग तथा बॉटलिंग लाइन की स्थापना, मौजूदा शीत गृहों आदि के पुनरोन्नयन की सुविधाओं को जोड़ना था।

V. प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत से किसम की सब्जियों तथा फलों का उत्पादन किया जाता है। इन्हें आस-पास के साथ-साथ सुदूर अवस्थित स्थानों तक विपणन के लिए ले जाने पर कुछ मामलों में 40% (फूलगोभी तथा पत्तागोभी आदि के मामलों में) बेकार हो जाते हैं। यदि इनकी समुचित रूप से सफाई किया जाए, इनकी छंटाई कर पैक कर दिया जाए तो इससे परिवहन का खर्च कम हो जाएगा, अपितु इन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकेगा। इससे 20% कम सही सीमा तक खर्च भी बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि बेकार बस्तुओं को उत्पादन केंद्र पर भी छोड़ दिया जाए तो इससे बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक रूप से आर्गनिक खाद भी उत्पादित किया जा सकेगा। इस प्रकार से निगम ने प्रमुख सब्जी /फल उत्पादक क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की योजना बनाया है। इसकी शुरूआत करते हुए बरपेटा, खारूपेटिया, ग्वालपाड़ा, सोनारीबाली आदि में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

ब- <u>विपणन</u>:

I. गेंगटोक में बड़ी इलायची नीलामी केंद्र की स्थापना:

नेरामेक की एक अत्याधुनिक उपक्रम सिक्किम के गंगटोक में बड़ी इलायची नीलामी केंद्र की स्थापना है, जो कि देश में अपने तरह का पहला केंद्र है, जो कि देश में अपने तरह का पहला केंद्र है। इसके स्थापना में आने से पूर्व सिक्किम में बड़ी इलायची का कोई संगठित बाजार नहीं था, जो भारत में बड़ी से सबसे बड़ा उत्पादक है। इस पर पहले कुछ निजी समूहों का पूरी तरह से नियंत्रण था तथा कृषकों को उनके उत्पादन का बस्तु कम कीमत मिलता था। नेरामेक के बड़ी इलायची केंद्र के कार्य शुरू करने के बाद

से परिदृष्य बदला है तथा प्रारंभ में थोड़ी मात्रा में किसानों को लाभ मिलने लगा है तथा नीलामी की यहां प्रबल संभावनाएं है और भबिष्य में बड़ी संख्या में किशानों को लाभ लिने लगेगा। इसके व्यापार को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज तथा सार्वजनिक /किशान सहभागिता रणनीति बनाई जा रही है। यह सब अगले इलायची मौसम के आने से पूर्व कर लेने की योजना है। इसके तहत मसालों तथा जड़ी-बूटियों के उत्पादों को ब्यापारिक विकल्प को और आधुनिक बनाने की योजना है।

II. फ्रैंचाइजी की नियुक्तिः

नेरामेक अपने विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए फ्रैंचाइजीज की नियुक्ति कर रोजगार सृजन की योजना बना रहा है। उन्हें जूस वेंडिंग मशीनें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना का लक्ष्य रोजगार सृजन के अलावा प्राकृतिक जूस के लिए वैकल्पिक विपणन ढ़ांचा तैयार करना है ताकि उसके साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रसंस्कृत उत्पादों ताजा फलों तथा सब्जियों का समुचित रूप से विपणन किया जा सके।

III. शॉपिंग मालों के साथ समझौता

फ्रैंचाइजी के नियुक्ति के अलावा नेरामेक ने अपने उत्पादों के विपणन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न भागों में अवस्थित शॉपिंग माँल्स के साथ गठजोड़ की व्यवस्था की योजना बना रहा है।

IV. क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले फलों एवं सब्जियों के विपणन के लिए खुदरा आउटलेटों को स्थापित करना:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विविध प्रकार के फल एवं सब्जियां पैदा की जाती है। आज भी इस क्षेत्र के कई स्थान तक परिवहन के साधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, जब कि यहां फल एवं सब्जियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। यहाँ के किसान व्यस्ततम समय पर इन उत्पादों का स्थानीय रूप से विपणन नही कर पाते, जब कि अन्य स्थानों पर ये सब्जियां या तो उपलब्ध नही है, और कहीं यदि उपलब्ध भी हैं तो ये बहुत ही कीमती है। अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय जैसा राज्य मौसम समाप्त होने पर सब्जियां पैदा करते है और उनकी माँग भी काफी है। नेरामेक ने अगले पांच वर्षों के दौरान न्यूनतम 100 विक्रीकेद्रों की स्थापना की योजना बनाया है इसका शुभारंभ करते हुए नेरामेक महत्त्वपूर्ण स्थानों पर कम से कम 10 खुदरा बिक्रीकेंद्रों की स्थापना करेगी। इसे क्रमिकरूप से आगामी 5 वर्षों में 100 तक करेगी। इसका उद्देश्य है कि किशानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाकर तथा ग्राहकों तक उपलब्ध कराकर किसानों की मदद करना है।

केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अन्य राज्यों में नेरामेक के कार्यालय की स्थापना :

नेरामेक ने उत्पादों की आपूर्ति सबंधों क्रियाकलापों के संचालन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों में विस्तार किया है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना यथा एनएचएम, एचएमएनईएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए), एनएफएसएम, आरकेवीआई आदि के तहत किया है। जरूरत इस बात की है कि संबद्धराज्य सरकारों से घनिष्ठ संबंध कायम रखा जाए। इसीलिए, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में नेरामेक ने प्राथमिक आधार पर कार्यालय खोलने का निश्चय किया गया है तथा अन्य राज्यों में अगले चरण में खोला जाएगा।

सी. परियोजना तथा परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना:

भारत सरकार देश में वानिकी के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रही है तथा इस अभियान के तहत कोई योजनाएं जैसे राष्ट्रीय वानिकी अभियान राष्ट्रीय स्तर पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा हिमालयी राज्यों के लिए वानिकी अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत निम्न कार्य शामिल हैं:

अ) जैविक कृषि को अपनाना तथा प्रमाणीकरण,

ब) गुणवत्तापूर्ण बीज, वृक्षरोपण साजो-सामान, जैव-खाद, माइक्रो-न्यूट्रिंएंट्स आदि का विकास तथा आपूर्ति,

स) बीज प्रसंस्करण तथा भंडारण सुविधाओं का निर्माण,

द) नियंत्रित वातावरण के तहत वानिकी फसलों के विकास हेतु ग्रीन-हाउसेज, मिस्ट-चैंबर्स, नेट हाउसेज, पॉली हाउसेज शेड-नेट आदि का निर्माण।

राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा इस संबंध में नेरामेक इन सामग्रियों को कई राज्यों को उपलब्ध करा रहा है। उपरोक्त कार्यों की वृहद पैमाने पर मांग है तथा उनमें से कुछ के लिए काफी दक्ष तकनीकी कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है। इसीलिए, नेरामेक विशेषज्ञ परियोजना तथा परामर्श प्रकोष्ठों की स्थापना की योजना बनाई है, जो निम्न परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराएंगे :

अ) जैविक कृषि को अपनाना तथा प्रमाणीकरण,

ब) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

स) ग्रीन हाउस (हरित गृह) की डिजाइन, निर्माण तथा ब्यवस्थापन तथा अन्य सबंद्ध कार्य।

द. खरीद केंद्रों की स्थापना:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फल यथा अनन्नास, संतरा, सेव, किवी, पैसन फ्रूट, नींबू, मसाले जैसे अदरख, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेजपत्ता तथा विविध प्रकार की सब्जियां पैदा की जाती हैं। वर्तमान में किसान एवं बाजार के बीच सबंद्ध स्थापित कराने का कार्य मध्यस्थ लोग करते हैं। सामानों की खेत पर की कीमत तथा खुदरा कीमत में भारी अंतर है-कुछ समय तो यह 200 से 300% तक रहता है। इसका मुख्य कारण उत्पादक क्षेत्रों में संगठित बाजार का अभाव होना है ताकि किसान अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सकें। इसी दूरी को मिटाने के लिए नेरामेक ने विभिन्न फसलों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में खरीद केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है जो ग्रामीण लोगों की आर्थिक संबध हो। इन प्रस्तावित केंद्रों पर कृषि उत्पादों का संग्रहण तथा भंडार पैकिंग, इनकी छंटाई तथा ग्रेडिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। यह केंद्र मुलकेंद्र की भूमिका निभाएंगे, जहां आस-पास के उत्पादक क्षेत्रों से कृषि उत्पादों को संग्रहीत किया जा सके, उनका मानकीकरण, पैकेजिंग तथा समुचित परिवहन के साधनों का इस्तेमाल कर पथ-रेल वायुयान के माध्यम से जैसा मामला होगा, बाजार तक पहुंचाया जा सके तथा अतिरिक्त संग्रहीत उत्पादों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। यहां खरीदकर्त्ताओं जिसमें प्रसंस्करणकर्त्ता भी शामिल है, को नीलामी के माध्यम से खरीद्दारी में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जा सके।

स- <u>उद्यमिता विकास:</u>

अपनी स्थापना काल से ही नेरामेक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में कार्यकुशलता विकास के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय उद्यमियों को महत्त्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में संबद्ध व्यापार के

ख्यातिप्राप्त संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से भी तकनीकी मदद ली जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण के क्रियाकलापों की गति कायम रखने के लिए नेरामेक ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के डोनर मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, शीलाँग से पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण निदेशक सम्मेलन, अनान्नास तथा अदरक के विशिष्ट उत्पादों, फलों तथा सब्जियों का रखरखाव तथा प्रत्यक्ष रूप से विपणन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर बाजार पहुंच के लिए खाद्य व्यवसाय उद्यम के प्रबंधन के कार्य को अंजाम दे रहा है।

ई- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) का प्रोन्नयन :

नेरामेक मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से लघु निजी प्रसंस्करण इकाइयों में शामिल होकर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि के परिचालन के लिए पहल शुरू की है। इस प्रकार से वह क्षमता सदुपयोग को बढ़ाकर किशानों की मदद में बड़ी भूमिका निभा रहा है ताकि वह उन्हें वाजिब कीमत दिला सके और प्रसंस्करण इकाइयों में उनके हित का समावेश कर सके। नेरामेक ने इसकी शुरूआत करते हुए आरुणाचल प्रदेश में उत्पादित किवी फल की खरीद की है तथा इसका किवी स्वॉस, किवी जाम, कीवी पैय बनाने के लिए लघु निजी प्रसंस्करण इकाइयों के साथ जुड़ी हुई है ताकि इन उत्पादों का 'नेरामेक' की मार्का नाम से विपणन कर सके। ठीक इसी तरह से नेरामेक ने मणिपुर से पैशन फ्रूट की भी खरीद की है तथा असम तथा मेघालय के निजी प्रसंस्करण इकाईयों के साथ जुड़ी हुई है ताकि इसका पैशन फ्रूट-स्क्वॉश तथा पैशन फ्रूट पेय तैयार कर सके। नेरामेक ने 'पाहडी घास' की भी खरीद की है ताकि इनका वह लघु इकाइयों के साथ मिलकर 'ग्रास ब्रूम' (घास के झाड़ू) बनाकर देश के अन्य भागों में बेच सके। चूंकी इनका विपणन पूरे देश के बाजार में किया जा सकता है, नेरामेक ने इन उत्पादों को दीर्घकालिक आधार पर विपणन की योजना बनाई है, क्योंकि इन सामानों का बहुत बड़ा बाजार विद्यमान है। यद्यपि इस विधि के तहत खरीदे गए, प्रसंस्कृत तथा विपणित सामानों की मात्रा काफी कम है, लेकिन यह तय है कि इस विधि से इस व्यवसाय के विस्तार की काफी संभावनाएं विद्यमान हैं। यह एक तरफ किशानों की मदद करेगा कि उनके उत्पादों को वृहद बाजारों तक पहुंचाया जा सकेगा, दूसरी तरफ यह प्रसंस्करण इकाईयों के लिए प्रेरणादायक होगा ताकि वे अपनी क्षमता को संवर्द्धित कर सकें। 'पीपीपी' विधि से अन्य फल यथा नींबू, संतरा अननास, बेल तथा अन्य स्थानीय फलों को प्रसंस्कृत किया जा सकेगा। जरूरत इस बात की है कि इसे विज्ञापन तथा प्रचार के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जाए, जिसके लिए काफी धन की आवश्यकता है। जो की उपलब्धता पर निर्भर नेरामेक ने दीर्घ काल के परिप्रेक्ष्य में बड़े पैमाने पर 'पीपीपी' विधि को विकसित करने की योजना बनाई है।

उ- एफपीओ/एफएसएसएआई पंजीकृत प्रसंस्करण इकाईयों का विकास

नेरामेक पूर्वोत्तर के एफपीओ/एफएसएसएआई पंजीकृत प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन के लिए मंच (प्लेटफार्म) को उपलब्ध करा रहा है। यद्यपि ऐसा देखने में आया है कि कोई इकाईयां अप्रचलित तथा कोई इकाईयों की क्षमता कोई तथ्यों जैसे पुरानी मशीन, दक्ष तकनीकी कामगारों के अभाव, गुणवत्ता का अभाव, वित्तीय सहायता का अभाव तथा और कोई कारणों के चलते पर्याप्त और गुणवत्तायुक्त उत्पादन नहीं कर पा रही है। इन इकाईयों के पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन के लिए विकसित किए जाने की अच्छी संभावनाएं विराजमान हैं। इस संदर्भ में नेरामेक ने विख्यात परामर्शक यथा सीएफटीआरआी को कार्य में लगाने की योजना बनाई है ताकि इन इकाईयों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में समग्र रूप से अध्ययन किया जा सके तथा इन इकाईयों की कार्यक्षमता में सुधार के लिए सुझाव दिए जा सकें। नेरामेक भी इस प्रक्रिया में जुटा हुआ है वह 'सार्वजनिक मार्का' के रुप में इनका विपणन कर सके।

ऊ. समूह / गोट का विकासः

ऐसा देखने में आया है कि क्षेत्र के किशान संगठित नही हैं तथा खेतों में उत्पादित उत्पादन में अनियमित हैं। इसके परिणामस्वरूप किसी एक स्थान से एक ब्यापारी या उद्यमी किसी की एकल उत्पादकों न तो व्यापार के लिए और नही प्रसंस्करण के लिए काफी पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकता। उत्पादन की अनियमित होने के कारण संग्रहण खर्च भी काफी ज्यादा पड़ता है। इसके चलते किशानों को मोल–तोल का अवसर भी नहीं मिल पाता, जिसके चलते उनके उत्पादों का यथोचित कीमत भी नही मिल पाता। इस प्रकार से जरूरत इस बात की है कि समूह/ गोट का सृजन कर किशानों को संगठित किया जाए। इसी के मद्देनजर नेरामेक ने पूर्वोत्तर राज्यों के प्रत्येक स्थानों की पहचान कर जहाँ अनन्नास, संतरा, अदरक, हल्दी के उत्पादक किशानों के लिए कम से कम दस समूह/ गोट की योजना बनाई है।

I. अन्यः

I. बीज उत्पादन केंद्रों का विकास :

भारत सरकार अभियान विधि यथा राष्ट्रीय वानिकी अभियान, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए वानिकी अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान आदि के माध्यम से कोई योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इन सभी योजना कार्यक्रमों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त बीज तथा वृक्षरोपण सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं नेरामेक अन्य उत्पादकों से लेकर बीज तथा वृक्षरोपण सामग्रियों को उपलब्ध कराता है। ऐसा महसूस किया गया है कि बीज तथा वृक्षरोपण सामग्रियों के ब्यवसाय के विकास की काफी प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। इसलिए नेरामेक ने इस व्यवसाय में काफी आगे बढ़ने के लिए बीज उत्पादक एजेंसियों के साथ गठजोड़ का प्रस्ताव किया है। बाद में चलकर नेरामेक का अनुज्ञापत्र / मताधिकार आधार पर अपनी बीज उत्पादन सुविधाएं हो जाएंगी।

II. पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण के राष्ट्रीय अभियान का कार्यान्वयन :

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मंत्रालय ने नई केंद्रीय प्रायोजित योजना–खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अभियान (एनएमएफपी) को 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत देश में शुभारंभ की है। एनएमएफपी का मूल उद्देश्य मंत्रालय की योजना का विकेंद्रीकरण तथा कार्यान्वयन है, जिसमें राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की भी आंशिक रूप से सहभागिता होगी। नेरामेक तथा इसके प्रत्साहकों के क्रियाकलापों को समझते हुए मंत्रालय ने नेरामेक को परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त किया है ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में योजनाओं का कार्यान्वयन हो सके, जिससे यह प्रबंधन, क्षमता सृजन, संयोजन तथा निगरानी रुपी मदद कर सके।

एनएमएफपी के कार्यान्वयन में नेरामेक मंत्रालय की मदद करेगा तथा पूर्वोत्तर राज्यों/ राज्य उद्योग संघो के साथ सहयोग करेगा। यह राजवार परियोजना की मासिक वित्तीय तथा राजस्व प्रगति प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा मंत्रालय को सौंपेगा तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग दिए इकाईयों का निरीक्षण करेगा तथा दिशा–निर्देश देगा। नेरामेक वर्ष में एक बार राज्य वार सम्मेलन आयोजित करेगा। दूसरी तरफ नेरामेक वित्तीय संस्थाओं से सहायता में उद्यमियों की मदद करेगा तथा परियोजनाओं के मूल्यांकन में समन्वय प्रदान करेगा तथा उसके लिए सशर्त ऋण के लिए स्वीकृति प्राप्त करेगा।

NERAMAC

अनुलग्नक-1 (1)

नेरामेक की वर्ष 2013-14 के लिए खरीद तथा विपणन योजना

राज्य	अनन्नास एमटी	अदरख एमटी	संतरा एमटी	काजू एमटी	मिर्ची एमटी	हिल ग्रास एमटी	तेजपत्ता एमटी	हल्दी एमटी	बड़ी इलायची एमटी	किवी एमटी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश										
ईस्ट सियांग/यिनक्यांग										5
रोइंग										
तेजू										
असम										
डिफू		50						5		
हाफलांग		50						5		
फुलेरतल								5		
बोको		50	50			165				
तिनसुकिया										
मणिपुर										
सेनापति			50		5			5		
मेघालय										
फुलबारी		400		25		25	5	5		
नांगपोह										
मिजोरम					5	5		5		
नगालैंड										
त्रिपुरा	200			350						
सिक्किम	50	50	150			5	70	11	10	
	250	600	250	375	10	200	75	41	10	5

NERAMAC

अनुलग्नक–1 (2)

नेरामेक की वर्ष 2014–15 के लिए खरीद तथा विपणन योजना

राज्य	अनन्नास एमटी	अदरख एमटी	संतरा एमटी	काजू एमटी	मिर्ची एमटी	हिल ग्रास एमटी	तेजपत्ता एमटी	हल्दी एमटी	बड़ी इलायची एमटी	किवी एमटी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश										
ईस्ट सियांग/यिनक्यांग										6
रोइंग										
तेजू										
असम										
डिफू		55						6		
हाफलांग		55						6		
फुलेरतल								6		
बोको		55	55			182				
तिनसुकिया										
मणिपुर										
सेनापति			55		6			6		
मेघालय										
फुलबारी		440		28		28	6	6		
नांगपोह										
मिजोरम					6	6		6		
नगालैंड										
त्रिपुरा	220			385						
सिक्किम	55	55	165			6	77	12	11	
	275	660	275	413	12	222	83	48	11	6

NERAMAC

अनुलग्नक–1 (3)

नेरामेक की वर्ष 2015–16 के लिए खरीद तथा विपणन योजना

राज्य	अनन्नास एमटी	अदरख एमटी	संतरा एमटी	काजू एमटी	मिर्ची एमटी	हिल ग्रास एमटी	तेजपत्ता एमटी	हल्दी एमटी	बड़ी इलायची एमटी	किवी एमटी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश										
ईस्ट सियांग/यिनक्यांग										7
रोइंग										
तेजू										
असम										
डिफू		61						7		
हाफलांग		61						7		
फुलेरतल								7		
बोको		61	61			200				
तिनसुकिया										
मणिपुर										
सेनापति			61		7			7		
मेघालय										
फुलबारी		484		31		31	7	7		
नांगपोह										
मिजोरम					7	7		7		
नगालैंड										
त्रिपुरा	242			424						
सिक्किम	61	61	182			7	85	13	12	
	303	728	304	455	14	245	92	55	12	7

NERAMAC

अनुलग्नक–1 (4)

नेरामेक की वर्ष 2016–17 के लिए खरीद तथा विपणन योजना

राज्य	अनन्नास एमटी	अदरख एमटी	संतरा एमटी	काजू एमटी	मिर्ची एमटी	हिल ग्रास एमटी	तेजपत्ता एमटी	हल्दी एमटी	बड़ी इलायची एमटी	किवी एमटी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश										
ईस्ट सियांग/यिनक्यांग										8
रोइंग										
तेजू										
असम										
डिफू		67						8		
हाफलांग		67						8		
फुलेरतल								8		
बोको		67	67			220				
तिनसुकिया										
मणिपुर										
सेनापति			67		8			8		
मेघालय										
फुलबारी		532		34		34	8	8		
नांगपोह										
मिजोरम					8	8		8		
नगालैंड										
त्रिपुरा	266			466						
सिक्किम	67	67	200			8	94	14	13	
	333	800	334	500	16	270	102	62	13	8

NERAMAC

अनुलग्नक–1 (5)

नेरामेक की वर्ष 2017–18 के लिए खरीद तथा विपणन योजना

राज्य	अनन्नास एमटी	अदरख एमटी	संतरा एमटी	काजू एमटी	मिर्ची एमटी	हिल ग्रास एमटी	तेजपत्ता एमटी	हल्दी एमटी	बड़ी इलायची एमटी	किवी एमटी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश										
ईस्ट सियांग/यिनक्यांग										9
रोइंग										
तेजू										
असम										
डिफू		74						9		
हाफलांग		74						9		
फुलेरतल								9		
बोको		74	74			242				
तिनसुकिया										
मणिपुर										
सेनापति			74		9			9		
मेघालय										
फुलबारी		585		37		37	9	9		
नांगपोह										
मिजोरम					9	9		9		
नगालैंड										
त्रिपुरा	293			513						
सिक्किम	74	74	220			9	103	15	14	
	367	881	368	550	18	297	112	69	14	9

NERAMAC

अनुलग्नक–1 (6)

नेरामेक की वर्ष 2018–19 के लिए खरीद तथा विपणन योजना

राज्य	अनन्नास एमटी	अदरख एमटी	संतरा एमटी	काजू एमटी	मिर्ची एमटी	हिल ग्रास एमटी	तेजपत्ता एमटी	हल्दी एमटी	बड़ी इलायची एमटी	किवी एमटी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश										
ईस्ट सियांग/यिनक्यांग										10
रोइंग										
तेजू										
असम										
डिफू		81						10		
हाफलांग		81						10		
फुलेरतल								10		
बोको		81	81			266				
तिनसुकिया										
मणिपुर										
सेनापति			81		10			10		
मेघालय										
फुलबारी		644		41		41	10	10		
नांगपोह										
मिजोरम					10	10		10		
नगालैंड										
त्रिपुरा	322			564						
सिक्किम	81	81	242			10	113	17	15	
	403	968	404	605	20	327	123	77	15	10

NERAMAC

अनुलग्नक–1 (7)

नेरामेक की वर्ष 2019–20 के लिए खरीद तथा विपणन योजना

राज्य	अनन्नास एमटी	अदरख एमटी	संतरा एमटी	काजू एमटी	मिर्ची एमटी	हिल ग्रास एमटी	तेजपत्ता एमटी	हल्दी एमटी	बड़ी इलायची एमटी	किवी एमटी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश										
ईस्ट सियांग/यिनक्यांग										11
रोइंग										
तेजू										
असम										
डिफू		89						11		
हाफलांग		89						11		
फुलेरतल								11		
बोको		89	89			293				
तिनसुकिया										
मणिपुर										
सेनापति			89		11			11		
मेघालय										
फुलबारी		708		45		45	11	11		
नांगपोह										
मिजोरम					11	11		11		
नगालैंड										
त्रिपुरा	354			620						
सिक्किम	89	89	266			11	124	19	17	
	443	1064	444	665	22	360	135	85	17	11

NERAMAC

अनुलग्नक–1 (8)

नेरामेक की वर्ष 2020–21 के लिए खरीद तथा विपणन योजना

राज्य	अनन्नास एमटी	अदरख एमटी	संतरा एमटी	काजू एमटी	मिर्ची एमटी	हिल ग्रास एमटी	तेजपत्ता एमटी	हल्दी एमटी	बड़ी इलायची एमटी	किवी एमटी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश										
ईस्ट सियांग/यिनक्यांग										12
रोइंग										
तेजू										
असम										
डिफू		98						12		
हाफलांग		98						12		
फुलेरतल								12		
बोको		98	98			322				
तिनसुकिया										
मणिपुर										
सेनापति			98		12			12		
मेघालय										
फुलबारी		779		50		50	12	12		
नांगपोह										
मिजोरम					12	12		12		
नगालैंड										
त्रिपुरा	389			682						
सिक्किम	98	98	293			12	136	21	19	
	487	1171	489	732	24	396	148	93	19	12

NERAMAC

अनुलग्नक–1 (9)

नेरामेक की वर्ष 2021–22 के लिए खरीद तथा विपणन योजना

राज्य	अनन्नास एमटी	अदरख एमटी	संतरा एमटी	काजू एमटी	मिर्ची एमटी	हिल ग्रास एमटी	तेजपत्ता एमटी	हल्दी एमटी	बड़ी इलायची एमटी	किवी एमटी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश										
ईस्ट सियांग/यिनक्यांग										13
रोइंग										
तेजू										
असम										
डिफू		108						13		
हाफलांग		108						13		
फुलेरतल								13		
बोको		108	108			354				
तिनसुकिया										
मणिपुर										
सेनापति			108		13			13		
मेघालय										
फुलबारी		857		55		55	13	13		
नांगपोह										
मिजोरम					13	13		13		
नगालैंड										
त्रिपुरा	428			750						
सिक्किम	108	108	322			13	150	23	21	
	536	1289	538	805	26	435	163	101	21	13

NERAMAC

अनुलग्नक–1 (10)

नेरामेक की वर्ष 2022–23 के लिए खरीद तथा विपणन योजना

राज्य	अनन्नास एमटी	अदरख एमटी	संतरा एमटी	काजू एमटी	मिर्ची एमटी	हिल ग्रास एमटी	तेजपत्ता एमटी	हल्दी एमटी	बड़ी इलायची एमटी	किवी एमटी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश										
ईस्ट सियांग/यिनक्यांग										14
रोइंग										
तेजू										
असम										
डिफू		119						14		
हाफलांग		119						14		
फुलेरतल								14		
बोको		119	119			389				
तिनसुकिया										
मणिपुर										
सेनापति			119		14			14		
मेघालय										
फुलबारी		943		61		61	14	14		
नांगपोह										
मिजोरम					14	14		14		
नगालैंड										
त्रिपुरा	471			825						
सिक्किम	119	119	354			14	165	25	23	
	590	1419	592	886	28	478	179	109	23	14

अनुलग्नक-2

अदरक प्रसंस्करण इकाई, बर्नीहाट में अदरक के प्रसंस्करण तथा विपणन की योजना

वर्ष	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-1 7**	**2017-18**
मात्रा	100 एमटी	110 एमटी	120 एमटी	130 एमटी	140 एमटी
टर्नओवर	15.00 लाख	16.50 लाख	18.00 लाख	19.50 लाख	21.00 लाख

काजू प्रसंस्करण इकाई, मानकाचर, असम की प्रसंस्करण तथा विपणन की योजना

वर्ष	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-1 7**	**2017-18**
मात्रा	200 एमटी	200 एमटी	240 एमटी	260 एमटी	290 एमटी
टर्नओवर	170.00 लाख	187.00 लाख	204.00 लाख	221.00 लाख	246.50 लाख

नेरामेक के कार्य पर पृष्ठ भूमीय टिप्पणी

पूर्वोत्तर परिषद, शिलाँग की पहल पर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि उत्पादों के बाजार संभावनाओं के विकास के उद्देश्य से पूर्वोत्तर कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामेक) की 31.3.82 को स्थापित किया गाय था।

निगम की अधिकृत पूंजी 1000 लाख रुपए थी तथा भुगतान की गई पूंजी 762 लाख रुपए थी। वर्तमान में यह भारत सरकार, नई दिल्ली के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यशील है। इसका पंजीकृत कार्यालय राजबाड़ी पथ, जी.एस. रोड, गणेशगुड़ी, गुवाहाटी में अवस्थित है।

क्रिया कलाप

i) **कृषकों के लिए :**

नेरामेक के तीन प्रसंस्करण इकाईयां जिनके नाम हैं : वर्ष 1988 में 3.62 करोड़ रुपए की लागत से नालकाटा में अनन्नास जूस संषाद्रण सयंत्र, वर्ष 1994 में 10 लाख रुपए की लागत से अगरतला में काजू प्रसंस्करण इकाई तथा इस वर्ष के दौरान बर्नीहाट में अदरक प्रसंस्करण सयंत्र की स्थापना की गई।

इन तीन सयंत्रों की स्थापना से अनन्नास, काजू तथा अदरक के किशानों को उनके उत्पादों का समुचित मूल्य प्राप्त हो रहा है तथा वे क्षेत्र की अर्थब्यवस्था में निश्चित रुप से अपना भरपूर योगदान दे रहे है।

यद्यपि नेरामेक ने छोटे पैमाने पर अपने परिचालन को संचालित कर रहा है, तथापि इसके बाजार में हस्तक्षेप से अनन्नास, संतरा, अदरक, काजू, सिट्रनेला घास, घास के झाड़ू आदि का किशानों को अच्छी कीमत मिल पा रही है।

ii) **खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं के लिए :**

नेरामेक प्रसंस्करण इकाइयों के उत्पादों को अपने आउलेटों के माध्यम से बाजार तक पहुंचा रहा है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के घरेलू बाजार से निर्यातित कर रहा है।

इस क्षेत्र में फैले प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन से इन इकाईयों को काफी मदद पहुंच रही है और उनके उत्पाद विस्तृत क्षेत्र में बाजार में पहुंच रहे हैं।

परियोजनाएं जो है :

i) **त्रिपुरा के नालकाटा में फल जूस संषाद्रण संयत्र का पुनर्निर्माण**

नालकाटा में अवस्थित फल जूस संषाद्रण सयंत्र को प्रत्येक वर्ष नुकसान हो रहा है, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी संयंत्र से अनन्नास जूस संषाद्रण निर्यात कार्य को निष्पादित किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि यह सयंत्र अनन्नास की मौसम में ही इसमें एक मात्र उत्पाद लाइन प्रयुक्त है। नेरामेक ने एनएलसीपीआर के तहत नालकाटा स्थित एफजेसीपी के पुनर्निर्माण के संबंध में त्रिपुरा सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

ii) **असम के मानकाचर में काजू प्रसंस्करण इकाई**

एनएलसीपीआर के तहत प्रोजेक्ट को मंजूर कर दिया गया है तथा इसके संबंध में 248.34 लाख रुपए को मंजूरी मिल चुकी है। इस में से 165.05 लाख रुपए को मंजूर कर सिविल कार्यों के लिए विमोचित कर दिया गया।

iii) **असम के छयगाँव में गुणवत्ता सुनिश्चियन तथा केंद्रीय पैकेजिंग केंद्र**

नेरामेक ने गुवाहाटी के समीप छयगाँव में केंद्रीय पैकेजिंग केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य वर्तमान लघु फल प्रसंस्करणकर्त्ताओं को मदद उपलब्ध कराना तथा उनके उत्पादों को सर्वजनिक मार्का नाम की सृजन करना है। इसी के अनुरुप नेरामेक ने प्रोजेक्ट के लिए असम सरकार के माध्यम से डोनर मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपा है, जिसे भारत सरकार के डोनर मंत्रालय द्वारा रख लिया गया है।

iv) **असम के सिलचर में बहु-फल प्रसंस्करण संयंत्र**

नेरामेक ने सिलचर में बहु-फल प्रसंस्करण सयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है, जो एक संयुक्त उपक्रम परियोजना होगी। हिन्दुस्तान यूनीलीवर लि./मर्डन फूड इंडस्ट्रीज लि. के वर्तमान आधारभूत संरचना को समुचित रुप से आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अनुसार पस्ताव को प्रस्तुत कर दिया गया है। इस संबंध में नेरामेक ने असम सरकार के माध्यम से भारत सरकार के डोनर मंत्रालय को प्रस्ताव दिया गया है, जिसे भारत सरकार के डोनर मंत्रालय ने ग्रहण कर लिया है।

नेरामेक : एक नजर में

निगमन	:	31 मार्च 1982
प्रोन्नयनकर्त्ता	:	पूर्वोत्तर परिषद भारत सरकार, शिलांग 793001
प्रशा. विभाग	:	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय, भारत सरकार विज्ञान भवन एनेक्स मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली-110011
पंजीकृत/प्रधान कार्यालय	:	9 राजबारी पथ, गणेशगुड़ी, जीएस रोड, गुवाहाटी-781005 दूरभाषा : (0361) 2341427 टेलि फैक्स : (0361) 2341428 ई मेल : neramac@gmail.com; info@neramac.com वेबसाइट : www.neramac.com
शाखा कार्यालय	:	शाखा कार्यालय, (1) अरुणाचल प्रदेश (2) असम (3) मणिपुर (4) मेघालय (5) मिजोरम (6) नगालैंड (7) सिक्किम (8) त्रिपुरा (9) कोलकाता (10) दिल्ली
निजी प्रसंस्करण इकाई	:	अनन्नास जूस संषाद्रण सयंत्र नालकाटा (त्रिपुरा) काजू प्रसंस्करण इकाई, अगरतला, त्रिपुरा अदरख प्रसंस्करण सयंत्र, बर्नीहाट
निजी बिक्री आउटलेट	:	गुवाहाटी - कृषि निर्देशक, खानापाड़ा अगरतला - हवाई अड्डा - इंडस्ट्रियल इस्टेट - सेक्रेटेरिएट काम्प्लेक्स
फ्रैंचाइज आउटलेट	:	गुवाहाटी - असम राज्य चिड़ियाघर

संपर्क सूत्रः

प्रधान कार्यालय – 9 राजबारी पथ, गणेशगुड़ी, जीएस रोड, गुवाहाटी–781005 :
ई मेल : neramac@gmail.com; info@neramac.com

(1) प्रबंध निदेशक (ओएफएफटीजी.) – श्री एस. भट्टाचार्जी
पीबीएक्स : (0361)– 2341427, टेलि फैक्स : (0361) – 2341428,
मोबाइल – + 91 97060 98131
ई मेल : md.neramac@gmail.com / neramac@satyam.net.in

2) महा प्रबंधक (एफ एंड ए) – श्री बी.आर. बरुवा
पीबीएक्स : (0361) – 2341427 मोबाइल – +91 9706098135

3) वरिष्ठ प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण तथा परियोजनाएं)– श्री देबजीत शर्मा
पीबीएक्स : (0361) – 2341427; मोबाइल– +91 9706098133

4) वरिष्ठ प्रबंधक (विपणन)– श्री अशोक बी अंगडी,
पीबीएक्स : (0361) – 2341427, मोबाइल– 9435549336

आंचलिक कार्यालय :

1) **आंचलिक कार्यालय, असम,**
9 राजबारी पथ, गणेशगुड़ी, जीएस रोड गुवाहाटी–781005, असम
महाप्रबंधक – श्री के.सी.एस कुरूप
दूरभाष – (0361) 2343687 मोबाइल – +91 9706098141
ई मेल : neramac.zo.assam@gmail.com

2) **आंचलिक कार्यालय, अरुणाचल प्रदेश,**
वानिकी परिसर निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, चिंपु, जिला : पापुमपारे,
इटानगर–791 111, अरुणाचल प्रदेश
अंचल प्रबंधक श्री इनामूल हुसैन साईकिया,
दूरभाष – (0360) 2351429, +91 9435195085
ई मेल : neramac.arunachal@gmail.com

3) **आंचलिक कार्यालय, मेघालय**
एनईसी सेक्रेटेरियट,
नांग्रिम हिल्स, शिलोंग – 793 003
महाप्रबंधक – श्री केसीएस कुरुप
दूरभाष नं. : 0364 2520464, मोबाइल : +91 9706098141
ई मेल : neramac.zo.m@gmail.com

4) **आंचलिक कार्यालय, मणिपुर**
मारफत मणिपुर स्माल फार्मर्स एग्री – बिजनेस कंसोर्टियम
कृषि निदेशालय,
संजेनथांग, इंफाल, मणिपुर – 795 001
सहायक प्रबंधक (विपणन) : श्री गुरुमयूम विश्वास शर्मा,
दूरभाष : +91 97745 25362, (एम)
ई मेल : neramac.imphal@gmail.com

5) **आंचलिक कार्यालय, मिजोरम**
सी. लालबुअंगा बिल्डिंग,
द्वारपुल साउथ, हाउस नं. 218,
आइजल, मिजोरम – 796 001,
सहायक प्रबंधक (विपणन) : श्री नीलचंद्र निंगोमबाम,
दूरभाष : +91 97743 80633, (एम)
ई मेल : neramac.miz@gmail.com

6) **आंचलिक कार्यालय, सिक्किम**
टाडोंग बाजार, गैंगटोक,
सिक्किम – 737 102
वरिष्ठ अंचल प्रबंधक – श्री पी.सी. राय
दूरभाष : (03592) – 232825, मोबाइल– + 91 9002569057
ई मेल : neramac.sikkim@gmail.com

7) **आंचलिक कार्यालय, नगालैंड**

मारफत जोशुआ चांग कीजा, डंकनबस्ती, हाउस नं. 302,
फेलोशिप कालोनी, डीमापुर, नगालैंड-797 112
अंचल प्रबंधक- श्री आई.एच. सइकिया
मोबाइल - + 91 9435195085
ई मेल : neramac.nagaland2@gmail.com

8) **आंचलिक कार्यालय, त्रिपुरा**

द्वितीय तल्ला, एसबीआई बिल्डिंग, रामनगर रोड नं. 2,
अगरतला- 799 002 त्रिपुरा पश्चिम
महाप्रबंधक - श्री के.सी. कुरुप
मोबाइल - + 91 9706098141, दूरभाष : 91 3812 331392
ई मेल : neramac.agt@gmail.com

निजी प्रसंस्करण इकाइयां

अ) अनन्नास जूस सषाद्रण, सयंत्र,
नालकाटा, (त्रिपुरा)

ब) काजू प्रसंस्करण इकाई,
अगरतला, त्रिपुरा

स) अदरख प्रसंस्करण सयंत्र, बर्नीहाट
मेघालय

****